

अपील क्रमांक 217/बो.प्र./नि.स./2025/
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, सेक्टर-19,
नवा रायपुर अटल नगर

दिनांक / 05 / 2025

अपील प्रकरण क्रमांक 217/बो.प्र./नि.सहा./2025

अपीलार्थी

डॉ. प्रकाश अग्रवाल,
एल.आई.जी. 78, भारती निकेतन
गोविंदपुरा,
भोपाल (म.प्र.) पिन 462023
मो. नं. 9826329595
ईमेल—prakashagrawal131@gmail.com

उत्तरवादी

श्री रविकांत साहू
जनसूचना अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विरुद्ध

आदेश दिनांक 02.05.2025

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी डॉ. प्रकाश अग्रवाल द्वारा दिनांक 07.04.2025 द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन की सुनवायी आज दिनांक 02.05.2025 को कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में दोपहर 12.30 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) अनुपस्थित थे तथा अपीलार्थी उपस्थित थे।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है आवेदक/अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत "जल संसाधन विभाग द्वारा छग के तीन परियोजनाओं (1) "राजीव समोदा निसदा डायवर्जन योजना (चरण-1)" NIT No. 02/SAC/24-25, System Tender No. 162973 दिनांक 19.12.2024 (2) "मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना" NIT No. 11/SAC/e-procurement/2023-24, System Tender No. 142653 दिनांक 26.07.2023 (3) "महानदी परियोजना (Ravishankar Sagar Dam Gangrel) Tender ID-2023 WRCWB-768971/ REQUEST FOR BID No. 03/SAC/2023-24/Civil/RUDRI, दिनांक 28.08.2023 से जुड़े मेंटेंस कार्य के परिप्रेक्ष्य से संबंधित सत्यापित जानकारी उपलब्ध कराने हेतु जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को प्रस्तुत आवेदन दिनांक 26.02.2025 विभाग में दिनांक 04.03.2025 को प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी ने जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित उत्तर दिनांक 03.04.2025 के माध्यम से संबंधित संभागीय कार्यालयों जानकारी में पृथक-पृथक आवेदन करने जानकारी लेने की आश्चर्यजनक सलाह दिये जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.04.2025 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस कार्यालय में दिनांक 15.04.2025 को प्राप्त हुआ। प्रथम अपील आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत, प्रकरण की सुनवाई दिनांक 02.05.2025 को समय दोपहर 12.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित कर, सुनवायी में उपस्थित होने बाबत अपीलार्थी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से सूचित किया गया।

3. सुनवाई दिनांक 02.05.2025 को अपीलार्थी ने उपस्थित होकर प्रस्तुत अपील के समर्थन में अपने तथ्य रखे। अपीलार्थी के तथ्य आवेदन में वांछित जानकारी में उल्लेखित 3 पृथक-पृथक निविदाओं में उल्लेखित दरों में विसंगतियां बाबत थे। साथ ही अपीलार्थी ने उल्लेख किया कि जनसूचना अधिकारी महोदय ने अपेक्षित जानकारीयों उपलब्ध करवाने की बजाय काफी विलम्ब से प्रेषित अपने हीलाहवाली भरे प्रत्युत्तर दिनांक 03.04.2025 के माध्यम से संबंधित संभागीय कार्यालयों में पृथक-पृथक आवेदन करने जानकारी लेने की आश्चर्यजनक सलाह दे दी, जबकि चाही गई जानकारी मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध न हों ऐसा संभव नहीं है। इसके अलावा जनसूचना अधिकारी महोदय का ऐसा कृत्य अधिनियम अधिनियम की धारा 6 (3) का भी सरासर उल्लंघन है। जनसूचना अधिकारी का ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया शासन व विभाग के साथ छल करने वाले जिम्मेदारों को संरक्षण देने का प्रयास भी लगता है जिस पर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग की गयी।

4. जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 02.05.2025 को सुनवाई में अनुपस्थित थे। उन्होंने, उनके पत्र क्रमांक 4112275/90/छ.ग./2025/3617, दिनांक 23.04.2025 के माध्यम से अवगत कराया कि आवेदक/अपीलार्थी द्वारा जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को दिनांक 26.02.2025 को प्रस्तुत आवेदन जनसूचना प्रकोष्ठ को आवक क्रमांक 367 दिनांक 04.03.2025 को प्राप्त हुआ। जानकारी हेतु नस्ती संबंधित कक्ष की ओर दिनांक 06.03.25 को प्रस्तुत की गई। संबंधित कक्ष से जनसूचना प्रकोष्ठ में दिनांक 21.03.25 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि चाही गयी जानकारी कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. द्वितीय चरण कार्य संभाग रायपुर, कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो बांध संभाग क्रं. 03 माचाडोली एवं कार्यपालन अभियंता, बांध संभाग क्रं. 02 रुद्री से संधारित की जाती है। अंकित टीप अनुसार वांछित जानकारी हेतु संबंधित संभागीय कार्यालय को पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु आवेदक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/90/छ.ग./2025/3003, दिनांक 03.04.2025 द्वारा सूचित किया गया।

5. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्न यह है कि 1. क्या वास्तव में जन सूचना अधिकारी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन का निराकरण समयसीमा में नहीं किया है? 2. क्या अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी इस लोक प्राधिकारी द्वारा धारित की जाने वाली जानकारी है? 3. क्या जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को पृथक-पृथक कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त करने दी गयी सलाह अधिनियम 2005 एवं उसके क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शी परिपत्रों के अनुरूप है? तीनों बिंदुओं का पृथक-पृथक परीक्षण किया जा रहा है।

6. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 26.02.2025 जनसूचना अधिकारी को दिनांक 04.03.2025 को प्राप्त हुआ। जिसका निराकरण करते हुये जन सूचना अधिकारी ने वांछित जानकारी हेतु संबंधित संभागीय कार्यालय को पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत

किये जाने हेतु आवेदक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/90/छ.ग./2025/3003, दि. 03.04.2025 द्वारा अर्थात् 30 दिनों में सूचित किया गया। इस प्रकार जनसूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम में निहित प्रावधान के तहत निर्धारित समयसीमा में आवेदन का निराकरण किया गया है।

7. अपीलार्थी के प्रकरण के न्यायसंगत निराकरण किये जाने की दृष्टि से अपीलार्थी के आवेदन में वांछित जानकारी के कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)/ लोक प्राधिकारी द्वारा धारित किये जाने जानकारी है या नहीं इसका परीक्षण किया गया। अपीलार्थी/आवेदक ने अपने आवेदन में "जल संसाधन विभाग द्वारा छग के तीन परियोजनाओं (1) "राजीव समोदा निसदा डायवर्जन योजना (चरण-1)" NIT No. 02/SAC/24-25, System Tender No. 162973 दिनांक 19.12.2024 (2) "मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना" NIT No. 11/SAC/e-procurement/2023-24, System Tender No. 142653 दिनांक 26.07.2023 (3) "महानदी परियोजना (Ravishankar Sagar Dam Gangrel) Tender ID-2023 WRCWB-768971/ REQUEST FOR BID No. 03/SAC/2023-24/Civil/RUDRI, दिनांक 28.08.2023 से जुड़े मेंटेंस कार्यों के परिप्रक्ष्य में बिंदुओं 1. उपरोक्त वर्णित तीनों परियोजनाओं हेतु विभाग द्वारा निर्धारित दरों की कार्य विवरणमय सूची, उक्त हेतु तैयार करवाए गए अनुमान एवं दर विश्लेषण (Estimates & Rate Analysis) की प्रति (संभव हो तो परियोजनावार तुलनात्मक सूची में) जिसमें दर निर्धारण के स्रोत से सम्बंधित दस्तावेजों, अनुशंसाओं, नस्तियों आदि की प्रति भी अपेक्षित हैं। (यह इसलिए कि जिम्मेदारों को स्पष्ट हो सके कि कार्य की थिकनेस अनुसार दरों की अनदेखी करके निर्धारित की गईं दरें किस मानक अनुसूची (SOR) के आधार पर तय की गईं हैं और क्या ये शासकीय धन का दुरुपयोग नहीं?) 2. उक्त तीनों परियोजनाओं के टेंडर दरों के निर्धारण हेतु विभाग द्वारा की गई गणना जिसमें निविदाकारों द्वारा कार्य में प्रयुक्त सामग्री, श्रम लागत, मशीनरी, परिवहन आदि की दर जिन दस्तावेजों मापदंडों / नियमों के आधार पर आंकलित / निर्धारित की गईं हो उन सभी के दस्तावेजी विवरणों की सत्यापित प्रति" हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदक ने 3 निविदाओं से संबंधित अनुमान एवं दर विश्लेषण (Estimates & Rate Analysis), दर निर्धारण के स्रोत से सम्बंधित दस्तावेज अनुशंसा, नस्ती आदि दस्तावेज मांगे हैं। कार्य विभाग नियमावली के अनुसार किसी कार्य का अनुमान एवं दर विश्लेषण (Estimates & Rate Analysis) तैयार करने हेतु, दर निर्धारण के स्रोत से सम्बंधित दस्तावेज, अनुशंसा आदि से संबंधित दस्तावेज संधारण हेतु कार्य से संबंधित कार्यपालन अभियंता सक्षम प्राधिकारी हैं। ऐसे दस्तावेज (आवेदक द्वारा वांछित) लोक प्राधिकारी के रूप में कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) में संधारित किये जाने की बाध्यता नहीं है। जनसूचना अधिकारी ने इस कार्यालय के संबंधित कक्ष में नस्ती भेजी थी, जहां से लेख किया गया कि "आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी इस पटल से संबंधित नहीं है अतः संभागीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है"। इस प्रकार आवेदन में वांछित जानकारी कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) में संधारित नहीं है।

8. अपील के निराकरण हेतु यह तथ्य पर विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को पृथक-पृथक कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त करने दी गयी सलाह अधिनियम 2005 एवं उसके क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शी परिपत्रों के अनुरूप है?

आवेदक ने अपने आवेदन में "छग जल संसाधन विभाग की तीन पृथक-पृथक परियोजनाओं (1) 'राजीव समोदा निसदा डायवर्जन योजना (चरण-1), (2) मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना (3) महानदी परियोजना (Ravshankar Sagar Dam Gangrel) से संबंधित दस्तावेज की मांग की थी। इनसे संबंधित दस्तावेज इनके लोक प्राधिकारी क्रमशः कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. द्वितीय चरण कार्य संभाग रायपुर, कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो बांध संभाग क्रं. 03 माचाडोली एवं कार्यपालन अभियंता, बांध संभाग क्रं. 02 रुद्री में उपलब्ध होंगे। अर्थात् तीन पृथक-पृथक जनसूचना अधिकारियों से संबंधित जानकारी की मांग आवेदक द्वारा की गयी है। तत्संबंध में भारत सरकार नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली के मार्गदर्शी परपत्र क्रं. सं. 10/2/2008-आई.आर. नई दिल्ली दिनांक 12.06.2008 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त ऐसे आवेदनों का निपटान जिनमें किसी अन्य लोक प्राधिकरण/प्राधिकरणों से संबंध सूचना मांगी गयी हो, के माध्यम से जारी मार्गदर्शन की कंडिका 3 (iii) का उद्धरण निम्नानुसार है :-

3 (iii) कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगता है, जिसका कुछ भाग उसके पास उपलब्ध है तथा शेष सूचना अन्य कई लोक प्राधिकरणों के पास है। ऐसी स्थिति में, आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को अपने से संबंधित सूचना दे देनी चाहिए तथा साथ ही आवेदक को सलाह देनी चाहिए कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकारियों को अलग-अलग आवेदन करे। यदि मांगी गई सूचना का कोई हिस्सा आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है, बल्कि सूचना के अलग-अलग हिस्से एक से अधिक दूसरे प्राधिकरणों के पास उपलब्ध है, तो लोक सूचना अधिकारी को आवेदक को यह सूचित कर देना चाहिए कि उस लोक प्राधिकरण के पास सूचना उपलब्ध नहीं है। साथ ही उसे आवेदक को यह सलाह देनी चाहिए कि सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग-अलग आवेदन दें। स्मरणीय है कि अधिनियम के अंतर्गत वही सूचना देना अपेक्षित है, जो पहले से विद्यमान हो तथा लोक प्राधिकरण द्वारा धारित हो या लोक प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन धारित हो। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। ऐसी सूचना, जिसके हिस्से अलग-अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में हो, को एकत्र किया जाना सूचना सृजन माना जाएगा। अधिनियम के अंतर्गत ऐसा करना अपेक्षित नहीं है। ऐसे मामले में सूचना का संबंध किसी 'लोक प्राधिकरण विशेष' से नहीं होता, इसलिए अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत आवेदन को अंतरित किए जाने का मामला नहीं बनता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उप-धारा (3) में 'दूसरे लोक प्राधिकरण' का संदर्भ एकवचन में है न कि बहुवचन में।

प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी कार्यालय से संबंधित न होकर अन्य 3 लोक प्राधिकारियों कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. द्वितीय चरण कार्य संभाग रायपुर, कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो बांध संभाग क्रं. 03 माचाडोली एवं कार्यपालन अभियंता, बांध संभाग क्रं. 02 रुद्री से संबंधित है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली के मार्गदर्शी परपत्र क्रं. सं. 10/2/2008-आई.आर. नई दिल्ली दिनांक 12.06.2008 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका अनुसार जनसूचना अधिकारी द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रं. 4112275/90/छ.ग./2025/3003 दिनांक 03.04.2025 द्वारा वांछित जानकारी हेतु तीनों कार्यपालन अभियंताओं को पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु आवेदक/अपीलार्थी को दी गयी सलाह अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत है।

9. अतः उपरिवर्णित तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय दिया जाता है :-

अपीलार्थी द्वारा चाही गयी जानकारी (1) "राजीव समोदा निसदा डायवर्जन योजना (चरण-1)" NIT No. 02/SAC/24-25, System Tender No. 162973 दिनांक 19.12.2024 (2) "मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना" NIT No. 11/SAC/e-procurement/2023-24, System Tender No. 142653 दिनांक 26.07.2023 (3) "महानदी परियोजना (Ravishankar Sagar Dam Gangrel) Tender ID-2023 WRCWB-768971/ REQUEST FOR BID No. 03/SAC/2023-24/Civil/RUDRI, दिनांक 28.08.2023 का निकटतम संबंध कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. द्वितीय चरण कार्य संभाग रायपुर, कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो बांध संभाग क्रं. 03 माचाडोली एवं कार्यपालन अभियंता, बांध संभाग क्रं. 02 रुद्री से संबंधित होने के कारण भारत सरकार नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली के मार्गदर्शी परपत्र क्रं. सं. 10/2/2008-आई.आर. नई दिल्ली दिनांक 12.06.2008 द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका अनुसार जनसूचना अधिकारी द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रं. 4112275/90/छ.ग./2025/3003 दि. 03.04.2025 द्वारा वांछित जानकारी हेतु तीनों कार्यपालन अभियंताओं को पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु आवेदक/अपीलार्थी को दी गयी सलाह अधिनियम 2005 एवं उसके क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शी परिपत्रों के अनुरूप है।

प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से प्रथम अपील प्रकरण निराकृत किया जाकर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।



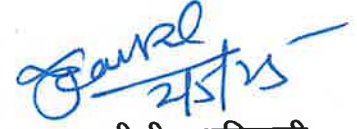
(आलोक कुमार अग्रवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्र./217/बो.प्र./नि.स./2025/ 4031

नवा रायपुर, दिनांक 05/5/2025

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के वेबसाइट (RTI Section) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री डॉ. प्रकाश अग्रवाल, एल.आई.जी. 78, भारती निकेतन गोविंदपुरा, भोपाल (म.प्र.) पि.को. 462023, मोबाइल नंबर 9826329595, ईमेल - **prakashagrawal131@gmail.com** की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी प्रको.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)